सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 518 राँची, मंगलवार, 25 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 जून, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-47/2017 का.- 4882-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बैजनाथ राम, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-559/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के विरूद्ध मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने एवं सरकारी राशि के गबन/दुरूपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-682, दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से प्राप्त उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1287/म०को०, दिनांक-20.12.2016 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री राम के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री राम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री राम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्ति भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 518 -- 50